तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.08.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 07/2014 अंबालाल बनाम जगदीशसिंह वगैरह को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.11.2020 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किए जाने के विरूद्ध रेस्टोर बाबत हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2021 को विलंब के साथ प्रस्तुत किया। विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में नियत दिनांक 27.11.2020 को प्रार्थी द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया था कि प्रार्थी के अधिवक्ता के रिश्तेदार का देहांत हो जाने से आज न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे। इसके बावजूद प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंदर म्याद शुमार फरमावें। प्रार्थना पत्र व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनके निकट रिश्तेदार की अचानक मृत्यु होने के कारण वह नियत दिनांक को पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंदर म्याद शुमार किया जाता है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.11.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/अधिवक्ता अपीलांट के अनुपस्थित रहने से अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा स्वयं शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियत दिनांक को उनके निकट रिश्तेदार की अचानक मृत्यु होने के कारण वे पैरवी के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें। हमारे विनम्र मत में प्रार्थी/अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अनुपस्थिति बाबत प्रस्तुत कारण स्वीकार योग्य व सद्भाविक है तथा अधिवक्ता अपीलांट लापरवाही व स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित नहीं रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसंगत व उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 07/2014 अंबालाल बनाम जगदीशसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.11.2020 को अपास्त करते हुए प्रार्थना पत्र पुनः नियमित विचारण हेतु ग्रहण किया जाता है। अधिवक्तागण उभयपक्षकारान को सूचित किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र विचारणार्थ आयंदा दिनांक 25.08.2025 को पेश हों। प्रार्थना पत्र इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Scanned with OKEN Scanner